क्र.सं.	नाम	योग्यता	विशेषज्ञता
7	श्री सबिताब्राता दत्ता	—	थियेटर
8	श्री सेबाबराटा गुप्ता	—	फिल्म पत्रकारिता
9	श्री हर्ष कुमार भिंडोटिया	—	व्यापार
10	सुश्री हेमा चौधरी	व्यवसायिक कलाकार/कुचीपुडी नत्यांगना	फिल्म अभिनय/कुचीपुडी नृत्य
11	श्रीमती पाली एयिप्पा	—	सामाजिक कार्य
12	श्री सी.वी.एल. शास्त्री	इण्टरमीडिएट	फिल्म निर्माण
13	श्री बशीर एम. पिचा	विज्ञान स्नातक	व्यापार/सामाजिक कार्य
14	श्री सुब्राम्मी रेड्डी	स्नातक	व्यापार/फिल्म वितरक
15	श्री जे. भास्कर राव	—	होटल प्रबंधक
16	श्री के. डी. जैन	अध्यक्ष, जयपुर स्टाक एक्सचेंज	सामाजिक कार्य
17	श्री लक्ष्मण सिंह	—	सामाजिक कार्य
18	श्री जुबेर खान	—	समाजिक कार्य
19	श्रीमती सारा मुहम्मद	विज्ञान स्नातक बी.टी. सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पब्लिक स्कूल	सामाजिक कार्य
20	श्रीमती उर्वसी तलवार	स्नातक	गृहिणी एवं संग्रहालय क्रियाकलाप
21	श्री अमर सिंह	—	व्यापार
22	श्री नवाज जफर जंग	—	सामाजिक कार्य/बक्फ बोर्ड
23	श्रीमती कमला मानकेकर	स्नातक (उपाधि) पत्रकारिता में डिप्लोमा	पत्रकारिता
24	प्रो. बी. दास	पूर्व उप कुलपति, उत्कल विश्व-विद्यालय	शिक्षा/सामाजिक कार्य
25	श्री सत्य प्रसाद बरूआ	—	शिक्षा/सामाजिक कार्य

Censoring Indian Films

1001. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that there are some 80 odd Indian films that were seized in small town theatres in the last 3 or 4 years as they were showing all the salacious portions that the censors had scrutinised and scissored ;

(b) if so, what steps Government have taken to punish the producers and exhibitors; please give details;

(c) whether it is a fact that the Central Board of Film Certification has failed to check this; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that, despite heated debates in Parliament as well as from public platform, the slazy, soft pern movies being churned out by little known producers in Malayalam, Hindi, Telugu, Tamil and even English have done roaring business; and no one is questioning them ; and

(e) if so, the details of the action taken by Government to punish the producers, exhibitors and censors ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) It is a fact that prints of some 80 odd Indian films were seized from cinema theatres as they were alleged to be interpolated with portions either deleted by the Central Board of Film Certification or portions not seen by the Board.

(b) and (c) After certification, the responsibility for enforcing the panal provisions of the Cinematograph Act, 1952 rests with the law enforcing agencies of the State Governments/Union Territory Administrations, who have been requested time and again to strictly enforee the Act and bring the offenders to book. The Central Board of Film Certification has no powers in this regard.

(d) As already stated, the responsibility for enforcing the provision of the Cinematograph Act rests with the State Governments/ Union Territory Administrations. Government does not have any information regarding the financial successes or failures of films.

(e) In addition to the existing provisions under the Cinematographs Act, 1952, the Cinematograph (Amendment) Bill, 1992, has been introduced in the Rajya Sabha on 18-8-92. The purpose of the Bill is to make the Cinematographs Act more effectives. The Bill *inter alia*, seeks to provide for—

(i) legal liability on film processing laboratories ;

(ii) enhancement of penalties provided in the Cinematograph Act with minimum punishment for interpolations in films; and

(iii) powers to Regional Officers of the Board, concurrently with the police office's, to seize a print in the case of interpolated films;

This Bill is curently before the Standing Committee on Communications.

देश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

1002. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने दूरदर्शन केन्द्र, दूरदर्शन रिले केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत है ;

(ख) आगामी दो वर्षों में इसके विस्तार की क्या योजना है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बिहार में औरंगाबाद स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता कितनी है और उससे लगभग कितने लोग लाभान्वित हो रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : वर्तमान में देश में 32 टी० वी० कार्यक्रम निर्माण केन्द्र एव 662 टी०वी० ट्रांसमीटर और 175 आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) देश में टी०वी० कवरेज को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से विभिन्न शक्ति की 42 स्टूडियो परियोजना एवं 515 ट्रांसमीटर कार्यान्वियनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं। इसी प्रकार 28 नए आकाशवाणी केन्द्रों सहित 104 स्कीमें देश में कार्यान्वियनाधीन/अगले दो वर्षों के दौरान स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

(ग) बिहार में औरंगाबाद में अल्पशक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर की क्षमता 300 वाट है जिससे लगभग 7.13 लाख